

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 24-01-2025 11:58 AM

Fee Receipt No	: 202502015001066	Receipt Date	: 24/01/2025
Name	: KAILESH CHAND SHARMA, VIJAY SONI ADVOCATE, KAILASH CHAND SHARMA, VIJAY SONI ADVOCATE;	Document S. No.	: 202501015000983
Address	: JAIPUR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 100
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 0	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 100
		Total Amount	: ₹ 100

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt RJ1111300240770 ₹ 100

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

उप पंजीयक
जयपुर - प्रथम
SUB-REGISTRAR



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

BRO Unique ID 2024000001236R

Receipt Date

24 JAN-2025 11:37

S R Location JAIPUR-I

Receipt No RJ1111300240770

Name Of Seller VIJAY SONI ADV

Name Of Buyer KAILASH CHAND SHARMA

Type of Document Others - Inspection And Search

ACC Reference NONSH/CGR LEGAL And e SOLUTIONS/JAIPUR

Paid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 0

CSI

₹ 0

Copy of Fees

₹ 0

Record Inspection Fees

₹ 100

Late Fees

₹ 0

Commission Fees

₹ 0

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 100

Service Charges

₹ 10

Grand Total

₹ 110

(Rupees One Hundred Ten Only)



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

VIJAY KUMAR SONI

ADVOCATE

RAJ HIGH COURT, JAIPUR

Email:- vijay11soni@gmail.com

S-1, Central Market,

Bapu Nagar, JAIPUR

Mb. 8078668207

R-2113/2003

Date:- 24.01.2025

To,

Shree Kailash Chand Sharma S/o Late Shree Ramnivas Sharma R/o Plot no 123, Panchsheel Enclve, Near pani ki Tanki, Durgapura Jaipur.

TITLE SEARCH REPORT

Re: TITLE SEARCH REPORT IN RESPECT OF LAND BEARING KHASARA NO. 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9, MEASRING 0.96 HECTARE, VILLAGE LAXMI DAMODARPURAWAS URF NAGARIYAWALA, TEHSIL SANGANER, JAIPUR.

NAME OF OWNER: Shree Kailash Chand Sharma S/o Late Shree Ramnivas Sharma R/o Plot no 123, Panchsheel Enclve, Near pani ki Tanki, Durgapura Jaipur.

(1) DISCRIPTION OF DOCUMENTS SCRUTINIZED :

Sr. No	Date	Particulars	Copy
01	01-01-2020	Jamabandi/Revenue record in the name of Goura Devi W/o Ramji Lal and Lali Devi W/o Hanuman Sahaya R/o, Village Laxmi Damodarpurawas	Photo copy


VIJAY KUMAR SONI
Advocate

		URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer, Jaipur.	
02	31.08.2021	Order dated 31.08.2021 passed by Dy. Commissioner Zone 09, JDA Jaipur declaring the conversion of land under section 90A of land revenue act from Agriculture to Non agriculture purpose.	Photo Copy
03	26.06.2024	Online e-sign Jamabandi Mutation is recorded in the name of Jaipur Development Authority Jaipur	Photo copy
04	05.01.2024	Two Registered sale deed in favor of Shree Kailash Chand Sharma	Photo Copy
05	27.11.2024	Scheme map approved by J.D.A.	Photo Copy
06	24.01.2025	Inspection and Search Receipt .	Original Copy

FLOW OF TITLE :-

As per your instruction I have taken necessary search of the available record in Jaipur Development Authority Jaipur office Sub- Registrar's 1 at Jaipur and from information given to us and believing the same to be true, correct and trustworthy and also believing the documents/ paper/copies etc. furnished in the case file shown to be true and genuine and also based upon the information given by Jaipur Development Authority, I hereby give my opinion and report as under:-

--As per the details made available on record and the documents stated above as also search caused in the office of the Jaipur Development Authority Jaipur, Sub- Registrar's 1 and office of Tehsil Sanganer : Shree Kailash Chand Sharma


VIJAY KUMAR SONI
 Advocate

S/o Late Shree Ramnivas Sharma R/o Plot no 123, Panchsheel Enclve, Near pani ki Tanki, Durgapura Jaipur is owner of Land bearing Khasara No 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9 measring 0.96 hectare, situated at village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer, Jaipur.

HISTORY OF THE CASE

- A. That Goura Devi W/o Ramji Lal and Lali Devi W/o Hanuman Sahaya R/o, Village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer Jaipur their names are in the Jamabandi records of Tehsil Sanganer, Jaipur. The correct position has been shown in online Jamabandi copy dated 01-01-2020.
- B. That Goura Devi W/o Ramji Lal and Lali Devi W/o Hanuman Sahaya R/o, Village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer Jaipur applied for conversion of land from Agriculture to Non Agriculture purpose u/s 90A of Land Revenue Act before JDA, Tehsildar Sanganer to gave report about the status of land, and informed Dy. Commissioner Zone-09, JDA, that the land is free from all encumbrances and also the land does not come under the purview of catchment area of river, pond nala etc.
- C. That Dy. Commissioner Zone 09, JDA Jaipur after receiving information from Tehsildar Sanganer vide order dated 31.08.2021 converted the land from Agriculture to Non agriculture purpose under section 90A of Land Revenue Act. Order copy dated 31.08.2021.
- D. That after 90A of bearing Khasara No1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9 measring 0.96 hectare, situated at village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer, Jaipur, mutation was recorded in the name of Jaipur Development Authority Jaipur, Online e-sign Jamabandi copy dated 26.06.2024.
- E. That Goura Devi W/o Ramji Lal and Lali Devi W/o Hanuman Sahaya R/o, Village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer Jaipur executed two sale deed on dated 05.01,2024 in favour of Shree Kailash Chand Sharma S/o Late Shree Ramnivas Sharma R/o Plot no 123, Panchsheel Enclve, Near pani ki Tanki, Durgapura Jaipur which was duly


VIJAY KUMAR SONI
 Advocate

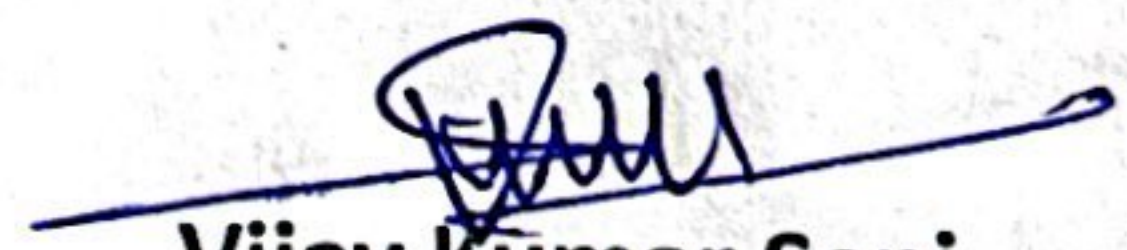
registered at Sub Registrar 1 Jaipur on 10.01.2024 at Book No.1, Volume No.1513 at page no. 79, Sr. No. 20243015100513 and also pasted at Additional Book No.1, Volume No.6047 at page no.200 to 212 and . Book No.1, Volume No.1513 at page no. 78, Sr. No. 20243015100512 and also pasted at Additional Book No.1, Volume No.6047 at page no.187 to 199. registered sale deed copy dated 05.01.2024.

- F. That after sale deed Shree Kailash Chand Sharma applied for map approval of residential scheme Rajlaxm Enclave-1X thereafter Jaipur Development Authority, Jaipur through agenda no 4 in its BPC (LP) meeting no. 376 dated 27.11.2024 approved map known as residential scheme RAJLAXMI ENCLAVE-1X.

ENCUMBRANCE CERTIFICATE

As per the documents made available as stated above and also search caused in the office at the office of Jaipur Development Authority, Jaipur, Sub Registrar 1 Jaipur and office of Tehsil Sanganer Jaipur I am of the opinion that the owners have absolute valid and marketable title in the property bearing Khasara, No 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6, 1058/9 measring 0.96 hectare, situated at village Laxmi Damodarpurawas URF Nagariyawala, Tehsil, Sanganer, Jaipur.

Date:-24.01.2025


Vijay Kumar Soni
VIJAY KUMAR SONI
Advocate
Advocate

Note-asper provide documents.



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर
काश्तकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 13
खाता संख्या पुराना :- 14

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

1. लालीदेवी पत्नी हनुमानसहाय हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई संदत्त लगान के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1052/4	0.2000 चाही 2	0.2000 5.80 2	स्वीकृत नामान्तरकरण : 114 20/11/2019 विभाजन	
1054/5	0.2200 चाही 2	0.2200 6.38 2		
3/1077	0.0600 चाही 2	0.0500 1.45 2		
3/1077	0.0600 जाव 2	0.0100 0.15 2		
कुल खसरे -3	0.4800	13.7800		

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - RAM KISHOR SHARMA

पता - JDA

प्रतिलिपि सं. - 31936

शुल्क - 30 Rs/-

आई.पी. - 103.203.138.185

दिनांक व समय -19/Jun/2021 09:15:00 a.m.

नकल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K11077724, पता :- S/O Shyam Lal Sharma, 47, bohro ka bas, , ,
Muhana, Tahsil - Sanganer, District - Jaipur

यू.एस.एन - 92952458113114

<http://apnakhata.raj.nic.in/qr.aspx?usn=929524581131142>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - KHUSHBU SHARMA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 01/Jan/2020 04:49:00 p.m.





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 1

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर
काश्तकार का नाम :-

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 51
खाता संख्या पुराना :- 13

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

1. गौरादेवी पत्नि रामजीलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा. देह खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1053/4	0.1400	चाही 2	0.1400	4.06	2	स्वीकृत नामांतरकरण : 114 20/11/2019 विभाजन
1055/5	0.1000	चाही 2	0.1000	2.90	2	
1056/6	0.1500	चाही 2	0.1500	4.35	2	
1058/9	0.0900	चाही 2	0.0900	2.61	2	
कुल खसरे -4	0.4800		13.9200			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - RAM KISHOR SHARMA

पता - JDA

प्रतिलिपि सं. - 32018

शुल्क - 30 Rs/-

आई.पी. - 103.203.138.185

दिनांक व समय -19/Jun/2021 10:42:00 p.m.

नक़ल जारी करने का स्थान - कियोस्क कोड :- K11077724, पता :- S/O Shyam Lal Sharma, 47, bohro ka bas, , ,
Muhana, Tahsil - Sanganer, District - Jaipur

यू.एस.एन - 92952458151114

<http://apnakhata.raj.nic.in/qx.aspx?usn=929524581511144>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - KHUSHBU SHARMA

पद - तहसीलदार

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 01/Jan/2020 04:49:00 p.m.





जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन-09) राजस्थान सरकार



क्रमांक: LU2012/JDA/2021-22/101146

दिनांक: 31/08/2021

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्रीमति **GORA DEVI** श्री **RAMJILAL MEENA** जाति **MEENA** निवासी **GRAM NAGRIYAWALA TEHSIL SANGANER**

श्रीमति **LALI DEVI** श्री **HANUMAN SAHAI** जाति **MEENA** निवासी **GRAM NAGRIYAWALA TEHSIL SANGANER JAIPUR**

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	लक्ष्मी दामोदरपुरावास उर्फ नगरियालावा, सांगानेर (जयपुर)	LALLI DEVI W/O HANUMAN SAHAI & GORA DEVI W/O RAMJI LAL	1052/4,1054/5, 3/1077,1053/4, 1055/5,1056/6, 1058/9	9600	0.96
कुल					0.96

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की -मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **31-08-2021** को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-09)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 1 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू अभि. नि. क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

काश्तकार का नाम :-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर । हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	0.4400	गै.मु.	0.4400		नोट नं. 3 से दिनांक 24/08/2019 खसरा संख्या : 138, 138/1,	
10	0.8600	गै.मु.	0.8600		138/2, 138/3, 140, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5,	
1012	0.0600	बारानी 1	0.0600	0.47	142/6, 143, 144, 144/1 सभी काश्तकार पर शिवाजी नगर हसन गृह	
1013	0.0700	बारानी 1	0.0700	0.55	निर्माण सहकारी समिति 90 बी प्रकरण संख्या 385/09 बंशी बनाम	
1017	0.2200	बारानी 1	0.2200	1.72	जगदीश वगैराह अपील संख्या 2312/2007 निर्णय दिनांक 21/12/2010	
1018	0.0900	बारानी 1	0.0900	0.70	संभागीय आयुक्त द्वारा निरस्त हुई । JDA में प्रकरण	
1024	0.7400	बारानी 1	0.7400	5.77	विचाराधीन चल रहा है । नोट लगा हुआ है।	
1026	26.1100	चरागाह	26.1100		नोट नं. 4 से दिनांक 24/08/2019 खसरा संख्या : 138, 138/1,	
1027	0.4400	बारानी 2	0.4400	2.64	138/2, 138/3, 140, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5,	
1028	2.1100	बारानी 2	2.1100	12.66	142/6, 143, 144, 144/1 सभी काश्तकार पर अपील संख्या 34/16	
1029	1.0000	बारानी 2	1.0000	6.00	दिनांक 5/6/17 द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा	
1030	1.0000	बारानी 2	1.0000	6.00	पारित जोन संख्या 9 विकास प्राधिकरण अधिन द्वारा पारित	
1033	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.42	अपीलाधीन आदेश दिनांक 13/1/2016 को निरस्त किया जाकर व जोन न.	
1034	0.0800	बारानी 2	0.0800	0.48	9 के प्राधिकारी महोदय को पन:श्च प्रकरण में विस्तृत रूप	
1035	0.1200	बारानी 2	0.1200	0.72	से सुनवाई का अवसर देते हुए पुन: निर्णय पारित करने हेतु लिखा	
1044/1083	0.1000	जाव 3	0.1000	1.02	है । तहसील कार्यालय आदेश क्रमांक/भू.अ./17/3771 दिनांक	
1047	0.2100	बारानी 3	0.2100	0.78	10/7/17 नोट लगा हुआ है।	
1052/4	0.2000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2000		स्वीकृत नामांतरकरण : 127 06/09/2023सर्मपण	
1053/4	0.1400	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1400		स्वीकृत नामांतरकरण : 129 05/01/2024सर्मपण	
1054/5	0.2200	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.2200			

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 2 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

पटवार हल्का :- श्योपुर

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- साँगानेर

खाता संख्या नया :- 48

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 7

1055/5	0.1000	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1000
1056/6	0.1500	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.1500
1058/9	0.0900	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0900
11	0.0600	गै.मु.	0.0600
12	0.0700	गै.मु.	0.0700
122	0.1700	गै.मु.	0.1700
13	0.0600	गै.मु.	0.0600
135	0.2500	गै.मु.	0.2500
136	0.2300	गै.मु.	0.2300
137	0.3600	गै.मु.	0.3600
138	0.2100	गै.मु.	0.2100
138/1	0.2100	गै.मु.	0.2100
138/2	0.2200	गै.मु.	0.2200
138/3	0.2200	गै.मु.	0.2200
14	0.0900	गै.मु.	0.0900
140	0.1900	गै.मु.	0.1900
142/1	0.0900	गै.मु.	0.0900
142/2	0.0800	गै.मु.	0.0800
142/3	0.0800	गै.मु.	0.0800
142/4	0.0700	गै.मु.	0.0700
142/5	0.0700	गै.मु.	0.0700
142/6	0.0900	गै.मु.	0.0900
143	0.0300	गै.मु.कुँआ	0.0300
144	0.1900	गै.मु.	0.1900
144/1	0.1900	गै.मु.	0.1900
146	0.3200	गै.मु.	0.3200
147	0.5300	गै.मु.	0.5300
15	0.0800	गै.मु.	0.0800
151	0.4300	गै.मु.	0.4300
152	0.0400	गै.मु.	0.0400

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 3 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

पटवार हल्का :- श्योपुर

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- साँगानेर

खाता संख्या नया :- 48

जिला :- जयपुर

खाता संख्या पुराना :- 7

153	0.3500	गै.मु.	0.3500
154	0.3200	गै.मु.	0.3200
155	0.2000	गै.मु.	0.2000
156	0.0200	गै.मु.	0.0200
157	0.0800	गै.मु.	0.0800
158	0.2500	गै.मु.	0.2500
159	0.1200	गै.मु.	0.1200
16	0.0800	गै.मु.	0.0800
160	0.4300	गै.मु.	0.4300
161	0.0700	गै.मु.	0.0700
162	0.0600	चाही 1	0.0500 1.80
		जाव 1	0.0100 0.18
17	0.2000	गै.मु.	0.2000
18	0.0100	गै.मु.	0.0100
195	0.8200	गै.मु.	0.8200
2	0.0400	गै.मु.	0.0400
230/1090	0.0300	चाही 3	0.0300 0.62
231/1091	0.0300	चाही 3	0.0300 0.62
239	0.2600	गै.मु.रास्ता	0.2600
287	0.1300	गै.मु.	0.1300
288	0.0800	गै.मु.	0.0800
289	0.1400	गै.मु.आबादी	0.1400
3	0.5800	गै.मु.	0.5800
3/1077	0.0600	आवासीय प्रयोजनार्थ	0.0600
303	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600
318	0.1900	गै.मु.रास्ता	0.1900
327	0.0500	बंजड़ 2	0.0500
328	0.7800	बंजड़ 2	0.7800
329	0.0500	बंजड़ 1	0.0500
331	0.0900	बंजड़ 2	0.0900
332	0.1800	बंजड़ 1	0.1800

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 4 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

333	0.1400	बंजड़ 2	0.1400	
340/1070	0.0400	चाही 3	0.0400	0.82
341/1071	0.0600	चाही 3	0.0600	1.23
342	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.42
343	0.2300	बारानी 2	0.2300	1.38
344	0.1100	बारानी 2	0.1100	0.66
384	0.1500	बंजड़ 2	0.1500	
385	2.8600	बंजड़ 2	2.8600	
386	0.0300	जाव 2	0.0300	0.44
389	0.0600	जाव 2	0.0600	0.87
390	0.0100	बंजड़ 2	0.0100	
421	0.0600	जाव 2	0.0600	0.87
424	0.0900	जाव 2	0.0900	1.31
425	0.1800	चाही 2	0.1100	3.19
		जाव 2	0.0700	1.02
430	0.2400	चाही 2	0.0500	1.45
		जाव 2	0.1900	2.76
432/1085	0.0300	चाही 2	0.0200	0.58
		जाव 2	0.0100	0.15
433	0.9200	गै.मुरास्ता	0.9200	
446	0.1300	चाही 2	0.0300	0.87
		जाव 2	0.1000	1.45
447	0.1100	चाही 2	0.0200	0.58
		जाव 2	0.0900	1.31
448	0.0500	चाही 2	0.0200	0.58
		जाव 2	0.0300	0.44
454	0.0800	गै.मुरास्ता	0.0800	
468	0.5100	बारानी 2	0.5100	3.06
469	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.42
470	0.3100	बारानी 3	0.3100	1.15
471	0.1700	बारानी 3	0.1700	0.63
472	0.4500	बारानी 3	0.4500	1.67

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 5 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

475	0.3500	बारानी 2	0.3500	2.10
476	0.1500	बारानी 2	0.1500	0.90
477	0.2200	बारानी 2	0.2200	1.32
478	0.7000	बारानी A	0.7000	8.26
479	0.3000	बारानी A	0.3000	3.54
480	0.3300	बारानी A	0.3300	3.89
481	0.2400	बारानी A	0.2400	2.83
483/1087	0.3000	बारानी 2	0.3000	1.80
484	0.4400	बारानी A	0.4400	5.19
485	0.2200	बारानी A	0.2200	2.60
500	0.2800	बारानी 2	0.2800	1.68
510	0.1700	चाही 2	0.0400	1.16
		जाव 2	0.1300	1.89
526	0.0400	जाव 2	0.0400	0.58
527	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100	
528	23.520	चरागाह	23.520	
	0		0	
529	2.6100	गै.मु.तलाई	2.6100	
53	0.2300	गै.मु.	0.2300	
530	2.3500	बंजड़ 2	2.3500	
531	0.0500	गै.मु.पाल	0.0500	
532	1.1600	बंजड़ 2	1.1600	
533	0.2700	गै.मु.पाल	0.2700	
534	1.3000	बंजड़ 2	1.3000	
535	5.4800	गै.मु.नदी	5.4800	
536	0.8600	बंजड़ 2	0.8600	
54	0.2400	गै.मु.	0.2400	
541/1082	0.0800	जाव 3	0.0800	0.82
547	3.6600	बंजड़ 2	3.6600	
548/1057	0.1300	बारानी 3	0.1300	0.48
554	0.0500	जाव 2	0.0500	0.73
555	0.0600	जाव 2	0.0600	0.87

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 6 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

577	0.1900	गै.मु.	0.1900
578	0.1800	गै.मु.	0.1800
582	0.2900	गै.मु.	0.2900
583	0.2200	गै.मु.	0.2200
584	0.2300	गै.मु.	0.2300
585	0.1900	गै.मु.	0.1900
586	0.2000	गै.मु.	0.2000
587	0.0200	गै.मु.	0.0200
588	0.1100	गै.मु.	0.1100
589	0.1300	गै.मु.	0.1300
590	0.1200	गै.मु.	0.1200
591	0.0900	गै.मु.	0.0900
592	0.0400	गै.मु.	0.0400
593	0.0400	गै.मु.	0.0400
594	0.0800	गै.मु.	0.0800
595	0.0500	गै.मु.	0.0500
596	0.0700	गै.मु.	0.0700
597	0.1100	गै.मु.	0.1100
598	0.2300	गै.मु.	0.2300
599	0.1300	गै.मु.	0.1300
600	0.1700	गै.मु.	0.1700
601	0.1100	गै.मु.	0.1100
602	0.1200	गै.मु.	0.1200
603	0.2200	गै.मु.	0.2200
604	0.3000	गै.मु.	0.3000
61	0.1400	गै.मु.	0.1400
62	0.1500	गै.मु.	0.1500
63	0.2900	गै.मु.	0.2900
64	0.1000	गै.मु.	0.1000
65	0.0500	गै.मु.	0.0500
655	0.0100	गै.मु.	0.0100
66	0.1600	गै.मु.	0.1600

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 7 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

660	0.1100	गै.मु.रास्ता	0.1100
661	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
662	0.2300	गै.मु.	0.2300
663	0.1000	गै.मु.	0.1000
664	0.1800	गै.मु.	0.1800
665	0.1900	गै.मु.	0.1900
666	0.1200	गै.मु.	0.1200
667	0.1300	गै.मु.	0.1300
668	0.0300	गै.मु.	0.0300
678	0.0900	गै.मु.रास्ता	0.0900
690	0.1000	गै.मु.रास्ता	0.1000
721	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
722	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
723	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
724	0.0400	गै.मु.रास्ता	0.0400
725	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
726	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300
736	0.2000	गै.मु.रास्ता	0.2000
737	0.0200	गै.मु.रास्ता	0.0200
770	0.3300	गै.मु.रास्ता	0.3300
808	0.0300	चाही 2	0.0100 0.29
		जाव 2	0.0200 0.29
810	0.9000	गै.मु.नाला	0.9000
815/1080	0.1800	चाही 2	0.1800 5.22
816	1.0200	गै.मु.नदी	1.0200
817	0.0100	गै.मु.श्मशान	0.0100
818	1.6600	गै.मु.श्मशान	1.6600
853	0.0900	चाही 2	0.0200 0.58
		जाव 2	0.0700 1.02
854	0.0700	चाही 2	0.0100 0.29
		जाव 2	0.0600 0.87
869	1.1700	बंजड़ 2	1.1700

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 8 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

870	0.5100	बंजड़ 2	0.5100	
872	0.2600	बारानी 3	0.2600	0.96
874	0.5200	बंजड़ 1	0.5200	
875/1086	0.0800	बंजड़ 1	0.0800	
876	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	
877	1.0200	गै.मु.आबादी	1.0200	
878	0.0200	गै.मु.आबादी	0.0200	
886	0.0400	जाव 2	0.0400	0.58
887	0.0600	जाव 2	0.0600	0.87
888	0.0600	जाव 2	0.0600	0.87
889	0.0600	गै.मु.रास्ता	0.0600	
89	0.1100	चरागाह	0.1100	
895	0.1200	चरागाह	0.1200	
9/1088	0.0500	चाही 2	0.0500	1.45
90	0.1300	चरागाह	0.1300	
905/1075	0.0500	चरागाह	0.0500	
906/1074	0.0300	चाही 3	0.0300	0.62
910/1073	0.0600	चाही 3	0.0600	1.23
911/1072	0.0500	चाही 3	0.0400	0.82
		जाव 3	0.0100	0.10
93/1078	0.0600	गै.मु.	0.0600	
945	0.0700	गै.मु.रास्ता	0.0700	
946	0.1600	बारानी 1	0.1600	1.25
95	0.2200	गै.मु.	0.2200	
96	0.2200	गै.मु.	0.2200	
97	0.5300	गै.मु.	0.5300	

कुल खसरे -222 114.2700 130.4100

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - vijay
प्रतिलिपि सं. - 185225
दिनांक व समय -24/Jan/2025 10:10:00 PM

पता - jaipur
आई.पी. - 10.70.244.252
नक़ल जारी करने का स्थान - साँगानेर

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA
हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM

पद - पटवारी



NIC



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पृष्ठ संख्या :- 9 of 9

ग्राम का नाम :- नगरियावाला
पटवार हल्का :- श्योपुर
भू.अभि.नि.क्षेत्र :- शिकारपुरा
तहसील :- साँगानेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2074-2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 48
खाता संख्या पुराना :- 7

यू.एस.एन - 92952458148933

<https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=92952458148933>

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - ARVIND KUMAR VERMA

पद - पटवारी

हस्ताक्षर दिनांक व समय - 26/Jun/2024 01:00:00 PM



NIC

**Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-I**

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 08-01-2024 6:57 PM

Fee Receipt No	: 202402015000451	Receipt Date	: 08/01/2024
Name	: KAILASH CHAND SHARMA,	Document S. No.	: 202401015000428
Address	: 123 ,PANCHSHEEL ENCLAVE ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 30000000	Evaluated Value	: ₹ 29155200
Ord-Registration Fee	: ₹ 150000	Fee for Memorandum Us 64	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 450000	Stamp Duty	: ₹ 1500000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 1000
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2101300
		Total Amount	: ₹ 2101300

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 300000

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ25986833073410W ₹ 1950000 # e-Registration Receipt RJ1773400050256 ₹ 151300

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR
जयपुर - प्रथम



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 24010542763R
S R Location JAIPUR-I
Receipt No RJ1773400050256
Name Of Seller GORA DEVI
Name Of Buyer KAILASH CHAND SHARMA
Type of Document 21(I) - Sale Deed Executed In Favour Of Senior Citizen Age Of 60 Years
ACC Reference NONSH/SIDDHANT GUPTA/JDA CAMPUS

Paid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 150000

CSI

₹ 300

Copy of Fees

₹ 0

Record Inspection Fees

₹ 0

Late Fees

₹ 0

Commission Fees

₹ 1000

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 151300

Service Charges

₹ 40

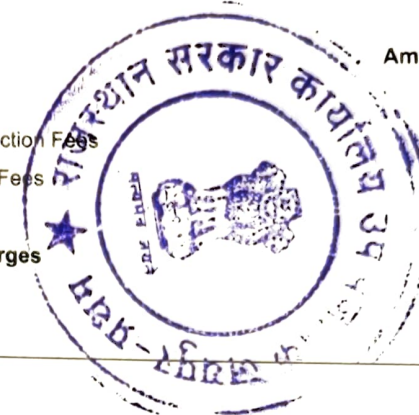
Grand Total

₹ 151340

(Rupees One Lakh Fifty-One Thousand Three Hundred Forty Only)



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.





सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ25986833073410W
Certificate Issued Date : 05-Jan-2024 05:56 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ rj3253804/ JDA CAMPUS/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ325380439555797962615W
Purchased by : KAILASH CHAND SHARMA
Description of Document : Article 21(i) Sale deed executed in favour of senior citizen age of 60 years
Property Description : KH NO 1053/4,1055/5,1056/6,1058/9 VILLAGE NAGRIYAWALA, TEH SANGANER, JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 3,00,00,000
 (Three Crore only)
First Party : GORA DEVI
Second Party : KAILASH CHAND SHARMA
Stamp Duty Paid By : KAILASH CHAND SHARMA
Stamp Duty Payable (Rs.) : 15,00,000
 (FifteenLakh only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 1,50,000
 (One Lakh Fifty Thousand only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 1,50,000
 (One Lakh Fifty Thousand only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 1,50,000
 (One Lakh Fifty Thousand only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 19,50,000
 (Nineteen Lakh Fifty Thousand only)

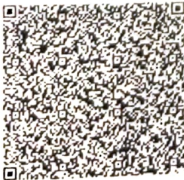


कैलाश चंद शर्मा



G.T.I.

गैरी देवी



IRJD

0022761727

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

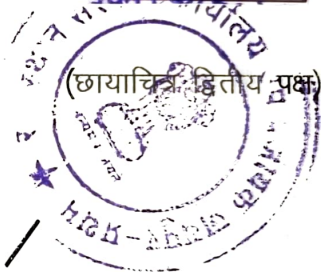
IN-RJ25986833073410W 05-Jan-2024 05:56 PM NONACC (SV)/ rj3253804/ JDA CAMPUS/ RJ-JP SUBIN-RJRJ325380439555797962615W KAILASH CHAND SHARMA Article 21(i) Sale deed executed in favour of senior citizen age of 60 years KH NO 1053/4,1055/5,1056/6,1058/9 VILLAGE NAGRIYAWALA, TEH SANGANER, JAIPUR 3,00,00,000 (Three Crore only) GORA DEVI KAILASH CHAND SHARMA KAILASH CHAND SHARMA 15,00,000 (FifteenLakh only) 1,50,000 (One Lakh Fifty Thousand only) 1,50,000 (One Lakh Fifty Thousand only) 1,50,000 (One Lakh Fifty Thousand only) 19,50,000 (Nineteen Lakh Fifty Thousand only)



(छायाचित्र प्रथम पक्ष)



(छायाचित्र द्वितीय पक्ष)

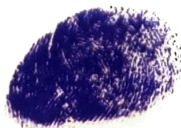


॥ श्री ॥

॥ विक्रय पत्र ॥

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 05.01.2024 ईस्वी को श्रीमती गौरा देवी उम्र-68 वर्ष पत्नी श्री रामजी लाल जाति-मीणा, निवासी-ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त की है जिन्हें इस विक्रय पत्र में "विक्रेती प्रथम पक्ष" व आगे "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है, (जिसमें प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के समस्त वारिसान, उत्तराधिकारी, अंशधारी, स्थानापन्न, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज, दायभागीयों, पार्टनर, निदेशक इत्यादि सभी पावन्द व सम्मिलित रहेंगे तथा समझे जावेंगे, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रकट न हों) की ओर से-

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम



L.T.I.

गौरा देवी

कलाश चंद 2024



ब ह क

श्री कैलाश चन्द शर्मा उम्र-61 वर्ष पुत्र रविवर्मा श्री रामनिवास शर्मा जाति-ब्राह्मण निवासी-123, पंचशील एनक्लेव, पानी की टकी के पास, दुर्गापुरा, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त के है। जिन्हें इस विक्रय पत्र में द्वितीयपक्ष-क्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य लेख्य किया गया है।

जो कि ग्राम नगरियावाला, पटवार हल्का श्योपुर, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 51 पुराना 13 के आराजी खसरा नम्बर 1053/4 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1055/5 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1056/6 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1058/9 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता-4 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथम पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थी।

तत्पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित खाता संख्या नया 51 पुराना 13 के आराजी खसरा नम्बर 1053/4 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1055/5 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1056/6 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1058/9 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता-4 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर सम्पूर्ण को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भूमि का आवासीय रूपान्तरण के बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के यहां आवेदन कर खातेदारी अधिकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात् उक्त भूमि धारा 90-क भू-राजस्व अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2021-22/101146 दिनांक 31.08.2021 से आवासीय प्रयोजन के लिये रूपान्तरित की जा चुकी है परन्तु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अनुसार उक्त कथित भूमि पर खातेदार के निहित हित सुरक्षित हैं, जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण से पुनः आवंटन खातेदार या उसके द्वारा आवंटित सदस्यों/निर्देशित व्यक्तियों/विक्रत व्यक्तियों को किया जावेगा।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर अर्थात् 4800 वर्गमीटर सम्पूर्ण को हर प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरित आदि करने के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है, जिसको प्रथमपक्ष ने आज पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी आदि के हक में रहन, बैय, विक्रय, बख्शीश, मुख्तारनामा, बंधक, एग्रीमेन्ट आदि नहीं किया हुआ है, तथा उक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि सभी प्रकार के सरकारी अर्द्धसरकारी जन साधारण के भारो, बंधनो, झगडो, टंटो आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है। तथा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

.....3

कैलाश चन्द शर्मा



L.T.E.

जोरा देवी



आज २४/०१/२०२४ दिनांक ०१/०१/२०२४ मा ०१ वर्ष २०२४
को..... वजे के नए श्रीमती गौरा देवी
पत्नी पुत्र श्री रामजी लाल आयु ६८ वर्ष जाति मीणा
व्यवसाय २४/०१/२०२४ मिवासी ग्राम
नगर भावावा २४/०१/२०२४ सागनेर / जयपुर, राजस्थान
ने भी सम्मुख प्रस्तुत किया विस्तृत किया

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

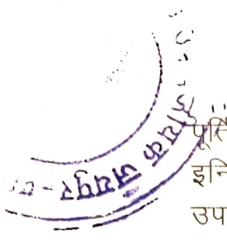
हस्ताक्षर उप-पंजीयक
जयपुर-प्रथम

पंजीयन शुल्क ...S:12... 15,000/—
पतिलिपि शुल्क S:6... 4,500/—
पृष्ठांकन शुल्क R:P... 15,000/—
अन्य शुल्क C:S:K... 300/—
योग २४/०१/२०२४ ३००/—

दिनांक ०८/०१/२४ योग २४/०१/२०२४

उप-पंजीयक, जयपुर-प्रथम



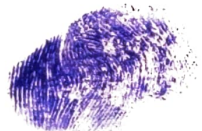


अतः विक्रेती प्रथमपक्ष को अपनी स्वयं की एवं पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए विक्रेती प्रथमपक्ष स्वयं अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित ग्राम नगरियावाला, पटवार हल्का श्योपुर, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 51 पुराना 13 के आराजी खसरा नम्बर 1053/4 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1055/5 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1056/6 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1058/9 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता-4 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर अर्थात् 4800 वर्गमीटर आवासीय रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण को बिना रखे दिखी भी अंश व भाग के मय समस्त बौल, सौल, पानी, पूला, मेर, डोल, पेड़, पौधे एवं समस्त कृषि हक खातेदारी, स्वत्वाधिकारों आदि सहित को मुवलिंग रूपये 3,00,00,000/- अक्षरे तीन करोड़ रूपये मात्र में द्वितीयपक्ष क्रेता-श्री कैलाश चन्द शर्मा उम्र-61 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास शर्मा जाति-ब्राह्मण निवासी-123, पंचशील एनक्लेव, पानी की टंकी के पास, दुर्गापुरा, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त को विक्रय कर दिया है अर्थात् बेच दी है, जिसकी विक्रय की सम्पूर्ण राशि विक्रेती प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से जरिये चैको द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त कर ली है :-

क्र. सं.	राशि	चैक संख्या	बैंक का नाम	प्राप्तकर्ता
1.	25,00,000 / -	002391	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
2.	25,00,000 / -	002392	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
3.	25,00,000 / -	002393	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
4.	25,00,000 / -	002394	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
5.	25,00,000 / -	002395	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
6.	50,00,000 / -	002397	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
7.	50,00,000 / -	002398	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
8.	50,00,000 / -	002399	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
9.	15,00,000 / -	002416	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
10.	7,00,000 / -	002415	आईसीआईसीआई बैंक	गौरा देवी
11.	3,00,000 / -	टीडीएस		
कुल	3,00,00,000 / -			

इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेती ने सम्पूर्ण विक्रय की राशि प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति होना विक्रेती इस विक्रय पत्र में प्राप्त करना स्वीकार करती है तथा विक्रेती ने 1 प्रतिशत टी.डी.एस. की राशि क्रेता को कटवा दी है जो राशि क्रेता आयकर विभाग में जमा करवा देगा उसको विक्रेती स्वयं आयकर विभाग से प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी। अब कुछ भी धनराशि विक्रेती को क्रेता से लेनी शेष नहीं रही है विक्रय की

कैलाश चन्द शर्मा4



L.T.P.

गौरा देवी



① श्रीमती गौर देवी पत्नी श्री रामजीनाथ उम्र 68 वर्ष
ज्योती मीना निवासी ग्राम नगरियावाला बहामन्दे
जमशेदपुर राज्य.

अष्टक श्री

② श्री केलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री स्व. राम निवासी शर्मा उम्र 64 वर्ष
ज्योती मीना निवासी: 123 पंचशिला इन्डियन पारी के टंकी
के पास गुर्गापुरा, जमशेदपुर राज्य.

उक्त श्री..... ने
लेख्य पत्र..... को पढ़ सुन
व समझ कर इसका निष्पादन
करना स्वीकार किया।

विद्यमान प्राप्त फल राशि रुपये 30000000/-
अक्षरे रुपये.....
राशि में पै रुपये.....
पूर्व में ही प्राप्त कर होना स्वीकार किया
संथा शेष राशि.....

उपरोक्त समझ प्राप्त किया।

उप-पंजीयक, जयपुर

उक्त निष्पादक की पहचान
(1) श्री.....
पुत्र श्री.....
उम्र..... वर्ष जाति.....
व्यवसाय.....
निवासी.....
तथा (2) श्री.....
पुत्र श्री.....
उम्र..... वर्ष जाति.....
व्यवसाय.....
निवासी.....
नगरियावाला बहामन्दे की है।

उप-पंजीयक
जयपुर-पथम





गई रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण का कब्जा विक्रेती ने क्रेता को भूके पर कानूनी व वास्तविक रूप से संभला दिया है, तथा विक्रय की गई भूमि पर से अपना समस्त झुल व कब्जा हटाकर क्रेता को अपने समान एकमात्र मालिक स्वामित्व का बिज बना दिया है। अब इस विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण पर से विक्रेती स्वयं का एवं विक्रेती के समस्त वारिसानो, स्थानापन्नो, दायभागियों, उत्तराधिकारियों, पार्टनरो आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है, और न आगे भविष्य में रहेगा।

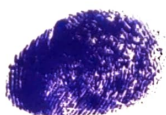
यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि में विक्रेती का अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है, यदि कोई साझी व हिस्सेदार अथवा अन्य कोई दीगर व्यक्ति इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दावा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस विक्रय भूमि के विरुद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावो व विवादो आदि का निपटारा, सुलटारा, चुकारा विक्रेती स्वयं अपने धन व श्रम से करेगी, और यदि इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विक्रेती के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश व भाग क्रेता के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो क्रेता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विक्रय की गई भूमि की बाजारु कीमत मय समस्त हानि व व्यय आदि सहित विक्रेती प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवें, इस सम्बन्ध में विक्रेती का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि पर यदि कोई ऋण, भार, राजस्व आदि देय होगा या किसी दीगर व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद, झगड़ा-टन्टा, किसी प्रकार की दीवानी, फौजदारी, स्थगन आदि की कार्यवाही किसी न्यायालय, पुलिस थाना में की जाती है तो उन सबके निपटारे, सुलटारे आदि की जिम्मेदारी विक्रेती प्रथमपक्ष की होगी। तथा इन सब कार्यों के लिये आने वाले सभी प्रकार के खर्चों का वहन विक्रेती प्रथमपक्ष अपने धन एवं श्रम से करेगी। इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इस सम्बन्ध में द्वितीयपक्ष क्रेता को किसी प्रकार की कोई हानि या क्षति होती है या फिर किसी प्रकार का कोई व्यय होता है तो ऐसी सभी प्रकार के समस्त हानि व व्यय प्रथमपक्ष की चल एवं अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेने का अधिकार द्वितीयपक्ष को होगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन से पूर्व का कोई भी झगड़ा, टंट, वाद विवाद, किसी भी निकाय अथवा सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग का कोई विवाद पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी तथा विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि के संबंध में द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा की समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी विभागो, राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में अपना नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण स्वयं इस लेख्यपत्र के आधार पर अपने हक में करा लेवें, तथा आज से क्रेता इस विक्रय की गई भूमि पर

.....5



L.T.I.
जयपुर देवी



क्रेता (चरुभा)



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 30000000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1500000 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 150000, सरचार्ज राशि 450000 कुल रु 2100000 रसीद संख्या 202402015000451 दिनांक 08-01-2024 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1500000 व मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401015000428

Sale Deed executed in favour of senior citizen age of 60 years

१५
उप पंजीयक, JAIPUR-I

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

Registration Endorsement

आज दिनांक 10/01/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1513 में
पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 202403015100513 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6047 के
पृष्ठ संख्या 200 से 212 पर चस्पा किया गया।

202401015000428

Sale Deed executed in favour of senior citizen age of 60 years

१५
उप पंजीयक, JAIPUR-I
जयपुर-प्रथम



एकमात्र स्वामी व काबिज वास्तविक रूप से हो गया है तथा क्रेता को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई भूमि का स्वयं उपयोग-उपभोग करे, किसी भी अन्य व्यक्ति, कम्पनी, संस्था के हक में विक्रय आदि करें, किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावें, उक्त रूपान्तरित भूमि को अपनी योजनानुसार नक्शा बनाकर-रिजिस्ट्रेशन करे, भूमि भूखण्ड आवंटित करे, भूखण्डधारियों को भूखण्ड देवे, भूखण्ड धारियों से रूपया प्राप्त करे, उनको रूपया प्राप्ति की रसीद देवे, भूखण्ड विक्रय करे, उक्त रूपान्तरित भूमि का नक्शा जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करवावे, रिलीज करावे, भूखण्ड बूकिंग करे, प्लॉट काटे, प्लॉटों पर नबरिंग लगावे, मानचित्र तैयार करावे, आवंटन पत्र जारी करे तथा हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होवें। तथा किसी भी प्रकार की अवाप्ति होने पर उसका मुआवजा, विकसित भूमि आदि अपने नाम से प्राप्त करें तात्पर्य यह है कि आज से क्रेता इस विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी व मालिक के रूप में हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करें।

यह कि विक्रय की गई भूमि डामर रोड पर स्थित है, तथा विक्रय पत्र के स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क व अन्य समस्त शुल्क क्रेता द्वितीय पक्ष ने स्वयं अपने पास से वहन किया है।

अतएव यह विक्रय पत्र विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी, स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना बहकावे व बिना किसी अन्य के दाव-दबाव या आग्रह के पूर्ण होश-हवास में पांच हरे पेपरो पर बहक क्रेता के हक में लेख्य कर दिया, जो सही है, तथा उक्त विक्रय पत्र को पढ़कर, सुनकर, समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी निम्न गवाहान् के समक्ष कर दिये हैं सो प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे। इति लेख्य दिनांक : 05.01.2024

हस्ताक्षर विक्रेता प्रथम पक्ष



L. T. I.
गौरा देवी

(श्रीमती गौरा देवी)

PAN NO. HCVPD4679G

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीय पक्ष

कैलाश चन्द शर्मा

(कैलाश चन्द शर्मा)

PAN NO. ABXPS3624A

गवाह (1)

रवि जांगिड पुत्र श्री दुर्गालाल
निवासी-46, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर

गवाह (2)

रामप्रसाद मीणा पुत्र श्री रामजी लाल मीणा
निवासी-106, खोडा की ढाणी, ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर

गवाह (3)

लालाराम मीणा पुत्र श्री रामजी लाल मीणा
निवासी-106, खोडा की ढाणी, ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 08-01-2024 6:55 PM

Fee Receipt No	: 202402015000450	Receipt Date	: 08/01/2024
Name	: KAILASH CHAND SHARMA,	Document S. No.	: 202401015000427
Address	: 123 ,PANCHSHEEL ENCALVE ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 30000000	Evaluated Value	
Ord-Registration Fee	: ₹ 150000	Fee for Memorandum Us_64_67	₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	₹
Surcharge	: ₹ 450000	Stamp Duty	₹ 500000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	₹ 0
Custody	: ₹	Others	₹ 0
		Cash Amount Received	₹ 0
		Other than Cash	₹ 2100300
		Total Amount	₹ 2100300

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

***Rebate U/S 9(1) : ₹ 300000**

e-Registration Receipt RJ1737250056109 ₹ 150300 # eStamp IN-RJ25986986285966W ₹ 1950000

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR
जयपुर-प्रथम



Government of Rajasthan e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

SRO Unique ID 24010542868R

Receipt Date

05-JAN-2024 17:58

S R Location JAIPUR-I

Receipt No RJ1737250056109

Name Of Seller LALI DEVI

Name Of Buyer KAILASH CHAND SHARMA

Type of Document 21(I) - Sale Deed Executed In Favour Of Senior Citizen Age Of 60 Years

ACC Reference NONSH/SIDDHANT GUPTA/JDA CAMPUS

Paid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees

₹ 150000

Copy of Fees

₹ 0

Late Fees

₹ 0

Other Charges

₹ 0

Total Amount

₹ 150300

Grand Total

₹ 150340

(Rupees One Lakh Fifty Thousand Three Hundred Forty Only)

Particulars

CSI

Record Inspection Fees

Commission Fees

Service Charges

Amount (Rs.)

₹ 300

₹ 0

₹ 0

₹ 40



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

(छायाचित्र प्रथम पक्ष)

(छायाचित्र द्वितीय पक्ष)



(छायाचित्र प्रथम पक्ष)



(छायाचित्र द्वितीय पक्ष)



॥ श्री ॥

विक्रय पत्र



उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 05.01.2024 ईस्वी को श्रीमती लाली देवी उम्र-58 वर्ष पत्नी श्री हनुमान सहाय जाति-मीणा, निवासी-ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त की है जिन्हें इस विक्रय पत्र में "विक्रेती प्रथम पक्ष" व आगे "प्रथम पक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया है, (जिसमें प्रथम पक्ष एवं प्रथम पक्ष के समस्त वारिसान, उत्तराधिकारी, अंशधारी, स्थानापन्न, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज, दायभागीयों, पार्टनर, निदेशक इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे तथा समझे जावेंगे, जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रकट न हों) की ओर से-



L.T.I.

लाली देवी

2
कलाश चर 2 मा

3

ब ह क

श्री कैलाश चन्द शर्मा उम्र-61 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास शर्मा जाति-ब्राह्मण निवासी-123, पंचशील एनक्लेव, पानी की टंकी के पास, दुर्गापुर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त के है। जिन्हें इस विक्रय पत्र में द्वितीयपक्ष-क्रेता के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य लेख्य किया गया है।

जो कि ग्राम नगरियावाला, पटवार हल्का श्योपुर, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 13 पुराना 14 के आराजी खसरा नम्बर 1052/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1054/5 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3/1077 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता-3 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी प्रथम पक्ष के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थी।

तत्पश्चात् प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी खाता संख्या नया 13 पुराना 14 के आराजी खसरा नम्बर 1052/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1054/5 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3/1077 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता-3 रकबा 0.4800 हैक्टेयर सम्पूर्ण को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु भूमि का आवासीय रूपान्तरण के बाबत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के यहां आवेदन कर खातेदारी अधिकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को समर्पित कर दिया। इसके पश्चात् उक्त भूमि धारा 90-क भू-राजस्व अधिनियम के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक LU2012/JDA/2021-22/101146 दिनांक 31.08.2021 से आवासीय प्रयोजन के लिये रूपान्तरित की जा चुकी है परन्तु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अनुसार उक्त कथित भूमि पर खातेदार के निहित हित सुरक्षित है, जिसका जयपुर विकास प्राधिकरण से पुनः आवंटन खातेदार या उसके द्वारा आवंटित सदस्यों/निर्देशित व्यक्तियों/विक्रत व्यक्तियों को किया जावेगा।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर अर्थात् 4800 वर्गमीटर सम्पूर्ण को हर प्रकार से विक्रय, हस्तान्तरित आदि करने के समस्त मालिकाना हक अधिकार प्रथमपक्ष को प्राप्त है, जिसको प्रथमपक्ष ने आज पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कम्पनी आदि के हक में रहन, बैय, विक्रय, बख्शीश, मुख्तारनामा, बंधक, एग्रीमेन्ट आदि नहीं किया हुआ है, तथा उक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि सभी प्रकार के सरकारी अर्द्धसरकारी जन साधारण के भारो, बंधनो, झगड़ो, टंटो आदि से पूर्णतया मुक्त व साफ है। तथा उक्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार का मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।



L.T.E.
ला.ल.दिवा

कैलाश चन्द शर्मा



आज. शुक्रवार दिनांक ०९ माह ०१ वर्ष २०२४
 को..... बजे के मध्य श्री मती लाली देवी...
 पुत्र श्री. हनुमान अक्षय मायु ५४ वर्ष जाति मीणा
 व्यवसाय... श्रमजी मिवाणी ग्राम गारियावाला
 ...तह... खानगाव... पिला जयपुर राज्
 ने भी सम्मुख प्रस्तुत किया



हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप-पंजीयक
 जयपुर-प्रथम

पंजीयन शुल्क	S.D. १	1500,000	/
पतिलिपि शुल्क	S.D. १	450,000	/
पृष्ठांकन शुल्क	R.P. १	150,000	/
अन्य शुल्क	C.S.F. १	800	/

दिनांक ०८/०१/२४. योग 2,10,000/-

उप-पंजीयक, जयपुर-प्रथम



अतः विक्रेती प्रथमपक्ष को अपनी स्वयं की एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इसलिए विक्रेती प्रथमपक्ष स्वयं अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित ग्राम नगरियावाला, पटवार हल्का श्योपुर, भू-अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान में स्थित खाता संख्या नया 13 पुराना 14 के आराजी खसरा नम्बर 1052/4 रकबा 0.2000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1054/5 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3/1077 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल किता-3 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर अर्थात् 4800 वर्गमीटर आवासीय रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण को बिना रखे किसी भी अंश व भाग के मय समस्त बौल, सौल, पानी, पूला, मेर, डोल, पेड़, पौधे एवं समस्त कृषि हक खातेदारी, स्वत्वाधिकारों आदि सहित को मुवलिंग रूपये 3,00,00,000/- अक्षरे तीन करोड़ रूपये मात्र में द्वितीयपक्ष क्रेता-श्री कैलाश चन्द शर्मा उम्र-61 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री रामनिवास शर्मा जाति-ब्राह्मण निवासी-123, पंचशील एनक्लेव, पानी की टंकी के पास, दुर्गापुरा, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त को विक्रय कर दिया है अर्थात् बेच दी है, जिसकी विक्रय की सम्पूर्ण राशि विक्रेती प्रथमपक्ष ने क्रेता द्वितीयपक्ष से जरिये चैको द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त कर ली है :-

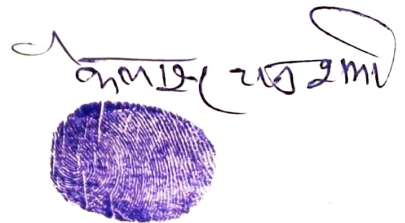
क्र. सं.	राशि	चैक संख्या	बैंक का नाम	प्राप्तकर्ता
1.	25,00,000 / -	002382	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
2.	25,00,000 / -	002383	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
3.	25,00,000 / -	002384	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
4.	25,00,000 / -	002386	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
5.	25,00,000 / -	002387	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
6.	50,00,000 / -	002388	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
7.	50,00,000 / -	002389	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
8.	50,00,000 / -	002390	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
9.	7,00,000 / -	002417	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
10.	15,00,000 / -	002418	आईसीआईसीआई बैंक	लाली देवी
11.	3,00,000 / -	टीडीएस		
कुल	3,00,00,000 / -			

इस प्रकार प्रथमपक्ष विक्रेती ने सम्पूर्ण विक्रय की राशि प्राप्त कर ली है जिसकी प्राप्ति होना विक्रेती इस विक्रय पत्र में प्राप्त करना स्वीकार करती है तथा विक्रेती ने 1 प्रतिशत टी.डी.एस. की राशि क्रेता को कटवा दी है जो राशि क्रेता आयकर विभाग में जमा करवा देगा उसको विक्रेती स्वयं आयकर विभाग से प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी। अब कुछ भी धनराशि विक्रेती को क्रेता से लेनी शेष नहीं रही है विक्रय की



L.T.I.

लाली देवी



.....4

① श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री हनुमान सहाय उम्र 58 वर्ष
जाति शीखा निवासी नगरिमावाला तह सागरीर
जिला जयपुर राजस्थान
एवं मरम्

② श्री केशव चंद शर्मा उम्र 61 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी 123 पंचशील एनमलेव पानी से टंकी के पास
दुर्गापुरा, जिला जयपुर राज्य

उक्त श्री ने
लेख्य पत्र विरुद्ध पत्र को पढ़ सुन
व समझ कर इसका निष्पादन
करना स्वीकार किया।

कलाश चंद शर्मा

उक्त प्राप्त फल राश रूपये 3,00,00,000/-
अक्षर रूपये तीन करोड़ रु. मात्र
मात्र में से रूपये
पूर्व में ही प्राप्त कर होना स्वीकार किया
तथा शेष राशि 6,00,00,000/-
मेरे समक्ष प्राप्त किया।

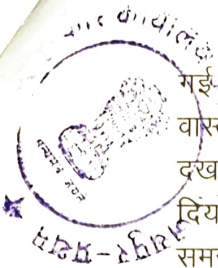
उप-पंजीयक, जयपुर-पथम

Raj

उक्त निष्पादकता की पहचान
(1) श्री रा. वि. ज. म. शर्मा
पुत्र श्री दुर्गातील
उम्र वर्ष जाति हिन्दू
व्यवसाय भा. पा. रा.
निवासी प. 6. श्री. जी. त. रा. दुर्गापुरा, जयपुर
तथा (2) श्री हनुमान सहाय
पुत्र श्री पु. रा.
उम्र वर्ष जाति हिन्दू
व्यवसाय टा. भा. पा. रा.
निवासी 106, टा. भा. जी. रा. रा. नगरिमावाला सागरीर
जयपुर ने की है

उप-पंजीयक
जयपुर-पथम





गई रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण का कब्जा विक्रेती ने क्रेता को आके पर, कानूनी व वास्तविक रूप से संभला दिया है, तथा विक्रय की गई भूमि पर से अपना समस्त देखल व कब्जा हटाकर क्रेता को अपने समान एकमात्र मालिक स्वामी काबिज बना दिया है। अब इस विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण पर से विक्रेती स्वयं का एवं विक्रेती के समस्त वारिसानो, स्थानापन्नो, दायभागियों, उत्तराधिकारियों, पार्टनरो आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है, और न आगे भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि में विक्रेती का अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है, यदि कोई साझी व हिस्सेदार अथवा अन्य कोई दीगर व्यक्ति इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दावा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस विक्रय भूमि के विरुद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावो व विवादो आदि का निपटारा, सुलटारा, चुकारा विक्रेती स्वयं अपने धन व श्रम से करेगी, और यदि इस विक्रय की गई भूमि के विरुद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विक्रेती के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश व भाग क्रेता के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो क्रेता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विक्रय की गई भूमि की बाजारु कीमत मय समस्त हानि व व्यय आदि सहित विक्रेती प्रथमपक्ष की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवें, इस सम्बन्ध में विक्रेती का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि पर यदि कोई ऋण, भार, राजस्व आदि देय होगा या किसी दीगर व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद, झगड़ा-टन्टा, किसी प्रकार की दीवानी, फौजदारी, स्थगन आदि की कार्यवाही किसी न्यायालय, पुलिस थाना में की जाती है तो उन सबके निपटारे, सुलटारे आदि की जिम्मेदारी विक्रेती प्रथमपक्ष की होगी। तथा इन सब कार्यों के लिये आने वाले सभी प्रकार के खर्चों का वहन विक्रेती प्रथमपक्ष अपने धन एवं श्रम से करेगी। इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इस सम्बन्ध में द्वितीयपक्ष क्रेता को किसी प्रकार की कोई हानि या क्षति होती है या फिर किसी प्रकार का कोई व्यय होता है तो ऐसी सभी प्रकार के समस्त हानि व व्यय प्रथमपक्ष की चल एवं अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेने का अधिकार द्वितीयपक्ष को होगा।

यह कि उक्त विक्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र निष्पादन से पूर्व का कोई भी झगड़ा, टन्टा, वाद विवाद, किसी भी निकाय अथवा सरकारी या अर्द्ध सरकारी विभाग का कोई विवाद पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की होगी तथा विक्रय पत्र निष्पादन के पश्चात् की समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।

यह कि विक्रय की गई रूपान्तरित भूमि के संबंध में द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा की समस्त सरकारी अर्द्धसरकारी विभागो, राजस्व विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में अपना नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण स्वयं इस लेख्यपत्र के आधार पर अपने हक में करा लेवें, तथा आज से क्रेता इस विक्रय की गई भूमि पर

.....5



L.T.E.

लाल देवी

लाल देवी





Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 30000000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1500000 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 150000, सरचार्ज राशि 450000 कुल रु 2100000 रसीद संख्या 202402015000450 दिनांक 08-01-2024 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1500000 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401015000427

Sale Deed executed in favour of senior citizen age of 60 years

उप पंजीयक, JAIPUR-I

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

Registration Endorsement

आज दिनांक 10/01/2024 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1513 में

पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 202403015100512 पर पंजीबद्ध किया गया तथा

अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 6047 के

पृष्ठ संख्या 187 से 199 पर चस्पा किया गया।

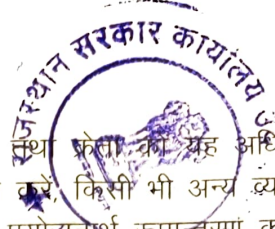
202401015000427

Sale Deed executed in favour of senior citizen age of 60 years

उप पंजीयक, JAIPUR-I

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम





एकमात्र स्वामी व काबिज वास्तविक रूप से हो गया है, तथा क्रेता को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई भूमि का स्वयं उपयोग-उपभोग करे, किसी भी अन्य व्यक्ति, कम्पनी, संस्था के हक में विक्रय आदि करे, किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावे, उक्त रूपान्तरित भूमि को अपनी योजनानुसार नक्शा बनाकर सीमांकन करे, भूमि भूखण्ड आवंटित करे, भूखण्डधारियों को भूखण्ड देवे, भूखण्ड धारियों से रूपया प्राप्त करे, उनको रूपया प्राप्ति की रसीद देवे, भूखण्ड विक्रय करे, उक्त रूपान्तरित भूमि का नक्शा जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित करवावे, रिलीज करावे, भूखण्ड बूकिंग करे, प्लॉट काटे, प्लॉटों पर नंबरिंग लगावे, मानचित्र तैयार करावे, आवंटन पत्र जारी करे तथा हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होवे। तथा किसी भी प्रकार की अवाप्ति होने पर उसका मुआवजा, विकसित भूमि आदि अपने नाम से प्राप्त करें तात्पर्य यह है कि आज से क्रेता इस विक्रय की गई भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी व मालिक के रूप में हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करें।

यह कि विक्रय की गई भूमि डामर रोड़ पर स्थित है, तथा विक्रय पत्र के स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क व अन्य समस्त शुल्क क्रेता द्वितीय पक्ष ने स्वयं अपने पास से वहन किया है।

अतएव यह विक्रय पत्र विक्रेती प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी, स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना बहकावे व बिना किसी अन्य के दाव-दबाव या आग्रह के पूर्ण होश-हवास में पांच हरे पेपरो पर बहक क्रेता के हक में लेख्य कर दिया, जो सही है, तथा उक्त विक्रय पत्र को पढ़कर, सुनकर, समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी निम्न गवाहान् के समक्ष कर दिये हैं सो प्रमाण रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे। इति लेख्य दिनांक : 05.01.2024

हस्ताक्षर विक्रेती प्रथम पक्ष

उप पंजीयक
जयपुर - प्रथम

(श्रीती लाली देवी)
PAN NO. BLGPL2218F

2.7.1.
लाली देवी

हस्ताक्षर क्रेता द्वितीय पक्ष

कैलाश चन्द शर्मा
(कैलाश चन्द शर्मा)
PAN NO. ABXPS3624

गवाह (1)
रवि जांगिड पुत्र श्री दुर्गालाल
निवासी-46, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, जयपुर

गवाह (2)
हनुमान सहाय पुत्र श्री पूरा
निवासी-106, खोडा की ढाणी, ग्राम नगरियावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-09/2025/08880/डी-430

दिनांक 31-01-2025

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री रामनिवास शर्मा
निवासी 123, पंचशील एन्क्लेव,
दुर्गापुरा, जयपुर

विषय : ग्राम लक्ष्मीदामोदरपुरा उर्फ नगरीयवाला तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा
नम्बर 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5, 1056/6 एवं
1058/9 कुल किता 7 कुल रकबा 9600 व.मी. भूमि पर प्रस्तावित आवासीय
योजना " राजलक्ष्मी एन्क्लेव-9 " के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम लक्ष्मीदामोदरपुरा उर्फ नगरीयवाला तहसील
सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 1052/4, 1054/5, 3/1077, 1053/4, 1055/5,
1056/6 एवं 1058/9 कुल किता 7 कुल रकबा 9600 व.मी. भूमि पर प्रस्तावित आवासीय
योजना " राजलक्ष्मी एन्क्लेव-9 " का मानचित्र रिकार्ड शाखा द्वारा पूर्व में जारी किया जा
चुका है। अतः रेरा रजिस्ट्रेशन करवाकर प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम
कार्यवाही किया जाना संभव हो सकें।

उपायुक्त जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Taramati
Vaishnava

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.01.30 16:07:27 IST

Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू रोड, जयपुर-302004

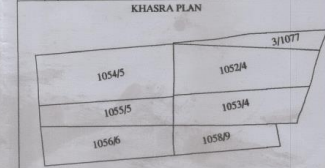
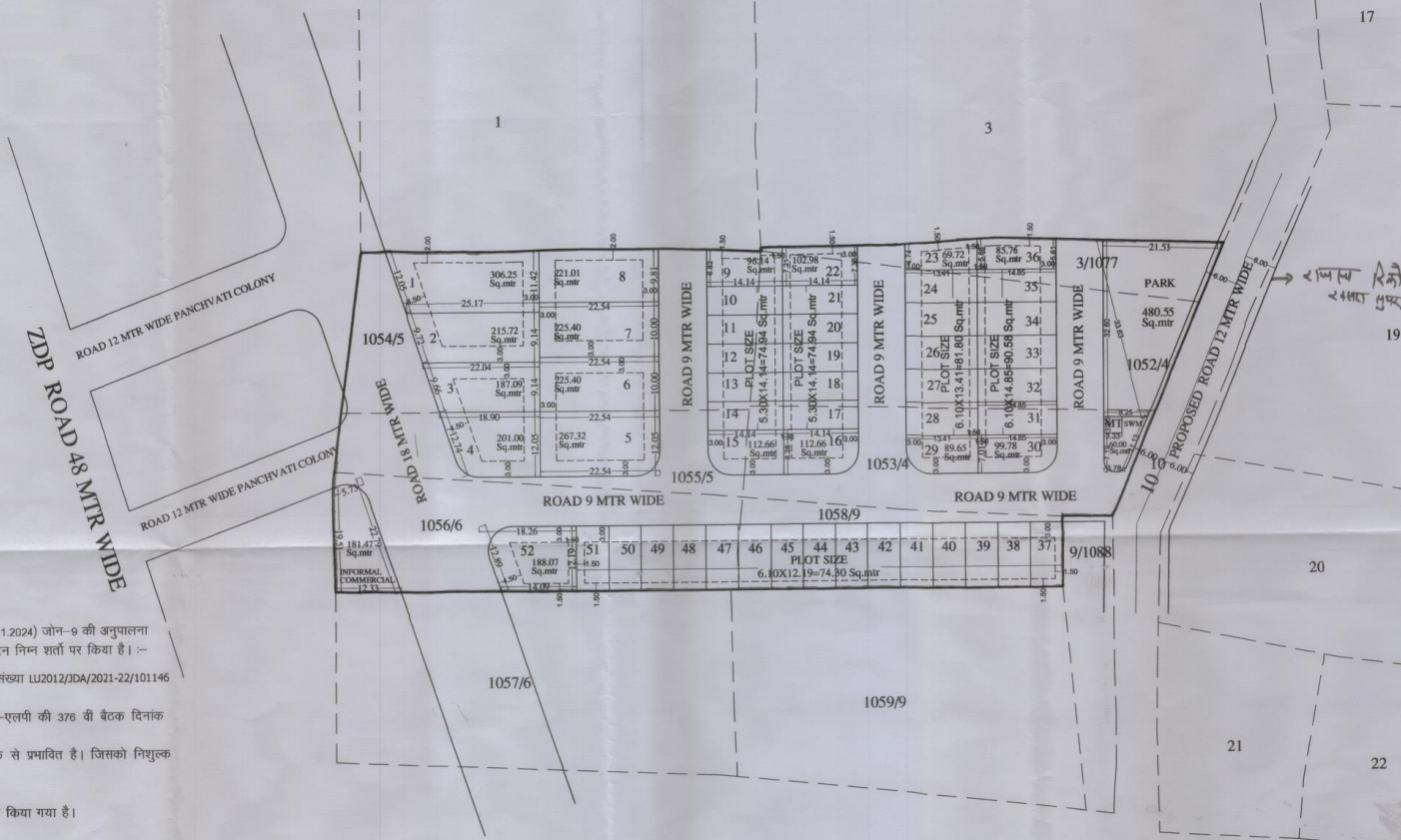
Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

LAYOUT PLAN OF SCHEME RAJ LAXMI ENCLAVE-IX

AT VILL- NAGRIYAWALAI TEH- SANGANER JAIPUR
NEAR AIRPORT SANGANER, JAIPUR
KH. NO.-1052/4,1054/5,3/1077,1053/4,1055/5,1056/6,1058/9

SCALE:-1:500

1508
B
24.1.25



AREA ANALYSIS:-			
S.NO.	LAND USE	AREA(IN Sq.mtr)	
1	RESIDENTIAL PLOT	5532.25 Sq.mtr	57.63%
2	INFORMAL	181.47 Sq.mtr	01.89%
3	M.T.S.W.M.	60.00 Sq.mtr	0.63%
4	PARK	480.55 Sq.mtr	5.00%
5	ROAD AREA	3345.73 Sq.mtr	34.85%
6	TOTAL SCHEME AREA	9600.00 Sq.mtr	100.00%

NAME OF SOCIETY:		
RAJ LAXMI ENCLAVE-IX		
ZONE NO.	ZONAL DEVELOPMENT PLANNING ZONE-	
SCALE: 1:500	SECTOR PLAN-	
A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.
JAIPUR DEVELOPEMENT AUTHORITY, JAIPUR.		

- एजेण्डा संख्या-4 (बी.पी.सी.-एल.पी. की 376वीं बैठक दिनांक 27.11.2024) जॉन-9 की अनुपालना में आवासीय योजना राजलक्ष्मी एन्क्लेव-IX के मानचित्र अनुमोदन निम्न शर्तों पर किया है। :-
- योजना की 90ए की कार्यवाही दिनांक 31.08.2021 को प्रकरण संख्या LU2012/JDA/2021-22/101146 के द्वारा की जा चुकी है।
 - आवासीय योजना राजलक्ष्मी एन्क्लेव-IX का अनुमोदन बीपीसी-एलपी की 376 वीं बैठक दिनांक 27.11.2024 को किया गया है।
 - आवेदित भूमि जोनल विकास योजना 02 की 18 मीटर सड़क से प्रभावित है। जिसको निशुल्क समर्पण किया गया है।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार है।
 - कार्नेर के भूखण्डों में नियमानुसार गोलाई काटकर क्षेत्रफल कम किया गया है।
 - मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार देय होंगे।
 - आन्तरिक विकास कार्य के एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्ड जविप्रा में रहन रखे जाते हैं, जो कि निम्नानुसार हैं आवासीय भूखण्ड संख्या 1, 2, 4 कुल क्षेत्रफल 722.91 वर्गमीटर अतः योजना के कुल 3 भूखण्ड रहन रखे गये हैं।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	1	306.25
2.	2	215.72
3.	4	201.00
कुल क्षेत्रफल		722.91

(कनिष्ठ अभियन्ता जॉन-09)

(तहसीलदार जॉन-09)

(वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी-एलपी))

(अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी-एलपी))

(अमीन जॉन-09)

(सहायक नगर नियोजक जॉन-09)

(उपस्थित जॉन-09)

MULTI MAX SURVEYORS
13, Kuber Complex, Opp. Police Head Quarter
Lalohi, Tonk Road, JAIPUR-302015 (Rajasthan)